"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/06/2012/वाक/पांच (13).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2012 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02-04-2007 की अनुसूची में अ.क्र. 7 एवं 12 के सामने कॉलम (4) में उल्लेखित वर्तमान शर्तें एवं निर्बन्धन के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें एवं निर्बन्धन प्रतिस्थापित किया जाए :—

"जब कॉलम (2) में उल्लेखित माल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसायी से देय कर का भुगतान करने के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो"

2. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2012" के स्थान पर, अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-3/28/2000/वि.क./पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
3.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003

(1)	(2)	(3)
4.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30-03-2006
5.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28-04-2006
6.	एफ-10-1/2010/वाक/पांच (3)	20-01-2010
7.	एफ-10-29/2010/वाक/पांच (34)	01-04-2010
8.	एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24)	31-03-2011

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/06/2012/वाक/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/06/2012/वाक/पांच (13), दिनांक 29-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/06/2012/CT/V (13).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2012,—

AMENDMENT

In Schedule to the notification No. F-10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007, in column (4) against S. No. 7 and 12, for the existing restriction & conditions, the following restriction & conditions shall be substituted :—

"When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another registered dealer after payment of tax under said Act for consumption or use in a local area."

2. In the following notifications for the figure related to period of the notification "2012", the figure "2013" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-3-28/2000/S.T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006
6.	F-10-1/2010/CT/V (3)	20-01-2010
7.	F-10-29/2010/CT/V (34)	01-04-2010
8.	F-10/24/2011/CT/V (24)	31-03-2011

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.